# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ बिश्नोई आर ए0एस)

**प्रकरण संख्या 14/2015**

| अपीलान्ट | | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| मेहराण खां पुत्र अखा खां जाति मुसलमान निवासी लूणो की बस्ती तहसील जैसलमेर | बनाम | 1. इसाक खां पुत्र अखा खां जाति मुसलमान निवासी लूणो की बस्ती तहसील जैसलमेर<br>2. मेहरदीन पुत्र अखा खां जाति मुसलमान निवासी लूणो की बस्ती तहसील जैसलमेर<br>3. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, सम |

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता विरूद्ध नामान्तरण संख्या 112 दिनांक 19.01.2013 जिसे तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा स्वीकृत किया गया।**

उपस्थित :–

1. **श्री बशीर मोहम्मद, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।**
2. **श्री मोहम्मद हनीफ, अधिवक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से।**
3. **पैरोकार राज, तहसीलदार, जैसलमेर।**

–:: निर्णय ::– दिनांकः– 15 मई 2019

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नोटिस प्रत्यार्थीगण को जारी किये गये। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उसकी व प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 की पुश्तैनी भूमि ग्राम लूणो की बस्ती के खसरा नम्बर 200/241 रकबा 32 बीधा व खसरा नम्बर 201/242 रकबा 43 बीधा कुल रकबा 75 बीधा किस्म बंजड दर्ज रही है, जिसका अपीलांट व प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के मध्य बंटवारा बराबर–बराबर हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक के हिस्से में 25 बीधा भूमि हिस्से में आई है, जिसका नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 19.01.2013 तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा स्वीकृत किया जाकर नक्शे में जो तरमीम दर्शाई गई है, उसमें रास्ता का कटान त्रुटि से उतर–दक्षिण दर्शाया गया है, जबकि रास्ता कटान पूर्व–पश्चिम किया जाना अपेक्षित था, जिससे सभी हिस्सेदारो को सुविधा होती। अपील में रास्ता कटान की तदअनुसार शुद्धि का अनुरोध किया गया है। समयावधि के बिन्दु पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र है, कि उसे उक्त तथ्य की जानकारी दिनांक 07.08.2018 को हुई, जिस पर नामान्तरकरण की नकल हल्का पटवारी से लेकर दिनांक 27.08.2018 को अपील प्रस्तुत कर दी। अपील में कारित विलम्ब को क्षम्य कर अपील समयावधि में शुमार करने का अनुरोध किया गया है।

प्रत्यार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत जबाब में आराजी के विभाजन सम्बन्धी तथ्य को स्वीकार कर अन्य तथ्य अभिलेख से सम्बन्धित बताये। आराजी बंटवारा सहमति से किये जाने से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(राजस्व) जैसलमेर

Scanned by CamScanner

तथ्य को स्वीकार किया गया है। रास्ता कटान गलत दर्ज करना स्वीकार किया गया है, रास्ता कटान पूर्व से पश्चिम नक्शा में दर्शाना जो सही नही दर्शाया जाना कथन करते हुए इसको दुरस्त करने में प्रत्यर्थीगण की आपति नही होना कथन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा अपील में उल्लेखित वशांवली सही होना कथन करते हुए रास्ता कटान पूर्व से पश्चिम दर्शाने की शुद्वि के प्रति सहमति व्यक्त की गई है। समयावधि के बिन्दु पर कानूनी होना उल्लेखित कर अपील अपीलांट के निस्तारण में कोई आपति नही होना व्यक्त किया गया है।

प्रत्यार्थी संख्या 03 की ओर से तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत जबाब में अपीलार्थी द्वारा पुश्तैनी भूमि के बंटवारे का तथ्य अभिलेख अनुसार बनाये गये है। प्रश्नगत रास्ता कटान को हल्का पटवारी द्वारा तरमीम किया गया है, उसे अपीलांट के अनुरोध अनुसार शुद्व करने में कोई आपत्ति नही होना प्रतिवेदित किया गया है, तहसीलदार, जैसलमेर का प्रस्तुत करना है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 को रास्ता कटान दुरस्त करने में कोई आपत्ति नही है तो उनकी ओर से भी कोई आपत्ति नही है। उन्होने प्रश्नगत नामान्तरण में आशिक रूप से शुद्वि करते हुए रास्ता कटान पूर्व से पश्चिम दर्ज करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई। समयावधि के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि रास्ता कटान की अशुद्वि की जानकारी होते ही नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर 30 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपील अपीलार्थी समयावधि में शुमार की जाये। अधिवक्ता प्रत्यार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने इसका विरोध नही किया। न्यायहित में अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विल्मब का शमन किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना निश्चित किया गया।

गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्क में अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत रास्ता कटान त्रुटी से उतर–दक्षिण तरमीन कर दिया गया है, जिसे शुद्व कर पूर्व–पश्चिम तरमीन किया जाये। अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार करने में अपनी ओर से कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं उभयपक्षो के बहस, विवेचन व अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने यह इस्तदुआ चाही है कि प्रश्नगत आराजी के तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा बंटवाडे के बाद स्वीकृत किए गए नामांतरकरण संख्या 112 दिनांक 19.01.2019 द्वारा स्वीकृत किया जाकर नक्शें में जो तरमीम दर्शायी गई है, उसमें रास्ता का कटान पूर्व–पश्चिम किया जाना अपेक्षित था। इसकी ताहिद में अपीलांट द्वारा नामांतरकरण संख्या 112 की प्रतिलिपि, जमाबंदी,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

पटवारी की रिपोर्ट की छाया प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, इन दस्तावेजात से रास्ता किस दिशा में कटान किया है, एवं किस दिशा में होना चाहिए, यह तथ्य प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित नही होता है, क्योकि इन दस्तावेजात में रास्ते का अंकन ही नही है तथा अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजात या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित हो कि रास्ता पूर्व से पश्चिम में दर्शाया जाना चाहिए जबकि उत्तर से दक्षिण दर्शाया है। अतः अपीलांट दस्तावेजात या साक्ष्य, सबूत व अपनी इस्तदुआ साबित करने में विफल रहने के कारण अपील अपीलांट खारीज की जाती है।

(भागीरथ विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर

Scanned by CamScanner